

जनपद बाराबंकी

दिनांक 01.09.2020

थाना कुर्सी पुलिस द्वारा दो शातिर प्रतिबन्धित पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार, मौके पर प्रतिबन्धित गोवंशीय पशु के वध हेतु प्रयुक्त बांका व 02 अदद मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अवैध तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के दिशा-निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फतेहपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कुर्सी श्री शशिकान्त यादव के कुशल नेतृत्व में थाना कुर्सी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. आसिफ 2. आमिर पुत्रगण साबिर निवासीगण मोहल्ला ब्रह्मणीटोला कस्बा व थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को समय 08.40 बजे इटौजा नहर रोड से गिरफ्तार कर थाना कुर्सी पर मु०अ०सं० 286/2020 धारा 379 भादवि व धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व मु०अ०सं० 287/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आसिफ पंजीकृत किया गया तथा मौके से एक अदद बांका, 01 अदद चाकू, दो अदद ठीहा, रस्सी नायलान, दो अदद मोटर साइकिल सुपर स्लेण्डर व 04 कुन्तल गौमांस बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. आसिफ पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला ब्रह्मणीटोला कस्बा व थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
2. आमिर पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला ब्रह्मणीटोला कस्बा व थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1. एक अदद बांका, 01 अदद चाकू, दो अदद ठीहा, रस्सी नायलान
2. दो अदद मोटर साइकिल सुपर स्लेण्डर नं० UP 41 U 3597 व UP 32 HA 6537
3. 04 कुन्तल गौमांस

पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक कुर्सी श्री शशिकान्त यादव जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० अनिल कुमार थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
3. का० अजीत कुमार सिंह, का० अजय राजभर थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
4. का० दीपक कुमार सिंह, का० आलोक यादव थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
5. चालक आरक्षी अभिषेक सिंह थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।